कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर
पत्रांक 174 / 14–10 सहारनपुर दिनांक 17/7/ 2018

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
बी0पी0सी0एल0,
200–प्रथम तल, पैरामाउण्ट ट्यूलिप,
दिल्ली रोड़, सहारनपुर।

विषयः– जनपद सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी0पी0सी0एल0 द्वारा 8"/6" व्यास की गैस पाइप लाईन डालने हेतु शिवालिक वन प्रभाग की बिना वृक्ष पातन के 0.136 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर में 6.207 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 109 वृक्षों एवं 116 पोल्स के पातन की अनुमति। (कुल 6.3430 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अपयोजन प्रस्ताव)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/47/2918/एफ0सी0/253 दिनांक 09.07.2018 तथा नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 93/सहारनपुर/27358/2017 दिनांक 12.07.2018

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र जो आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, द्वारा विषयांकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है, उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर एवं शिवालिक वन प्रभाग से सम्बन्धित एक समेकित प्रस्ताव है जिसमें शिवालिक वन प्रभाग से सम्बन्धित 0.136 हे0 संरक्षित वन भूमि सम्मिलित है।

अतः उक्त क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति दिनांक 09.07.2018 की शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार 05–05 मूल प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

क0 संख्या	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 09.07.2018 की शर्ते	शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने एवं कार्यवाही का विवरण।
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 12.686 हे0(6.3430x2=12.686) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण शिवालिक वन प्रभाग से सम्बन्धित 12.686 हे0 क्षेत्र चिन्हित किया गया है जिसमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रू0 26,36,607.00 प्राविधानित किया गया है। अतः शर्त के अनुपालन में **रू0 26,36,,607.00 (रू0 छब्बीस लाख, छत्तीस हजार, छः सौ सात मात्र)** की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर जमा की गयी धनराशि की ऑन लाइन रसीद, की प्रति प्रस्तुत करें।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में इस वन प्रभाग से सम्बन्धित एन0पी0वी0 की धनराशि **रू0 1,09,208.00 (रू0 एक लाख, नौ हजार, दो सौ आठ मात्र)** ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर जमा की गयी धनराशि की ऑन लाइन रसीद, की प्रति प्रस्तुत करें।
(ख)	इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन, ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त संख्या 1 एवं 02 के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन, ई–रसीद की छाया प्रति 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) पीछे (backward) उनकी (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4	गैस पाइप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा। एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जायेगा।	शर्त में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप मलवा निस्तारण से सम्बन्धित योजना, एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र, 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करें, ताकि योजना को अनुमोदित किये जाने की कार्यवाही की जा सके।
5	गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 0.70 मी0 की चौड़ाई में ही की जायेगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति में ही न्यूनतम् संख्या में किया जायेगा, एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जायेगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 बालाचन्द्रन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, सहारनपुर को संदर्भित कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 बालाचन्द्रन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी

पत्रांक 323/14-1 /14—10 सहारनपुर, दिनॉक 28-2018

सेवामें,

मुख्य महाप्रबन्धक,
बी.पी.सी.एल.,
200—प्रथम तल, पैरामाउण्ट टूलिप,
दिल्ली रोड़, सहारनपुर।

विषय :— जपनद सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी.पी.सी.एल. द्वारा 8''/6'' व्यास की गैस पाइप लाईन डालने हेतु शिवालिक वन प्रभाग की बिना वृक्ष पातन के 0.136 हे. संरक्षित वन भूमि एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर में 6.207 हे. संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 109 वृक्षों एवं 116 पोल्स के पातन की अनुमति। (कुल 6.3430 हे. संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अपयोजना प्रस्ताव)

संदर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू.पी./09/47/2918/एफ.सी./253 दिनॉक 09.07.2018 तथा नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ का पत्रांक 93/सहारनपुर/27358/2017 दिनॉक 12.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, द्वारा विषयांकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक अनुमति निर्गत की गयी है, उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर एवं शिवालिक वन प्रभाग से सम्बन्धित एक समेकित प्रस्ताव है जिसमें सामाजिक वानिकी प्रभाग से सम्बन्धित 6.207 हे. संरक्षित वन भूमि सम्मिलित है।

अतः उक्त क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति दिनॉक 09.07.2018 की शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार 05—05 मूल प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

क. संख्या	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनॉक 09.07.2018 की शर्तें।	शर्तों के अनुपालन के सम्बध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने एवं कार्यवाही का विवरण।
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन क्षेत्र के दुगने अवनत वनभूमि अर्थात 12.686 हे. (6.3430X2=12.686) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की मांग शिवालिक वनप्रभाग सहारनपुर से द्वारा की गई है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चयतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007 एफ.सी. दिनॉक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एम.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में इस वन प्रभाग से सम्बन्धित एन.पी.वी. की धनराशि रू 49,84,221.00 (उनान्चास लाख, चौरासी हजार, दो सौ इक्कीस मात्र) ई—पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर जमा की गयी धनराशि की ऑन लाईन रसीद, की प्रति प्रस्तुत करें।
(ख)	इसके उपरान्त ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईम, ई—रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त संख्या 1 एवं 02 के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन, ई—रसीद की छायाप्रति 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र (सक्षमस्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमास्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) पीछे (Backward) उनकी (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4	गैस पाईप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा एवं शेष मलवे का सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जायेगा।	शर्त में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप मलवा निस्तारण से सम्बधित योजना, एवं बचन बद्धता प्रमाणपत्र 05–05 मूल प्रतियों में प्रस्तुत करें, ताकि योजना को अनुमोदित किय जाने की कार्यवाही की जा सके।
5	गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 0.70 मी की चौड़ाई में ही की जायेगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वनभूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूलप्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति में ही न्यूनतम् संख्या में किया जायेगा, एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जायेगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूलप्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त में उल्लिखित आशय का बचन बद्धता प्रमाण पत्र 05–05 मूलप्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(विजय सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी
प्रभाग, सहारनपुर

पत्रांक 323 / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर को उनके पत्र सं0 174/14–10 दिनांक 17.07.2018 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी
प्रभाग, सहारनपुर